

वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य
प्रमंडल-1, बेतिया।

(निविदा सूचना)


वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाघों के अनुश्रवण/क्रिया कलापों हेतु अधिकृत निबंधित आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक: 12/03/2019 के अपराहन 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक: 12/03/2019 को अपराहन 3.00 बजे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा सभी कर के बेतिया सामग्री पहुँचाकर प्रति ईकाई दर अंकित करना होगा। आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की विवरणी निम्नवत् है:-

क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा
1	White Flash Camra Trap – Cuddeback Model – X-Change color Camera Trap. Specifiacion : Minimum Requirement Resolution : = 3 MP Pictures : Day-color, Night-color Video mode : Yes Trigger speed : = 0.25 sec Delay / Recovery = 45 sec Time : Flash illumination = 10 meters (33 range : feet) Power supply AA or D batteries Data Storage = 2 GB Stamping on Data, Time & photo Camera ID Protective Cover All Weather.	100 अदद्

निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी:-

1. निविदादाता को निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग (जी0एस0टी0), आयकर विभाग से (पैन) निबंधित होने का प्रमाण संलग्न तथा अद्यतन दाखिल विवरणी करना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिष्ठान का पता संबंधित अभिलेख के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को प्रासंगिक सामग्रियों का वित्तीय बिड एवं तकनीकि बिड अलग-अलग लिफाफे में संलग्न करना होगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रु0 की राशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक “ वन प्रमंडल पदाधिकारी- सह-उपनिदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल-1” के पदनाम से देय होगा जो बेतिया स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतये हो, संलग्न करना होगा।

5. सफल निविदाता को आपूर्ति आदेश के 2(दो) सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदादाताओं के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. अनुमानित मात्रा की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
10. विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के वेबसाईट www.valmikitigerreserve.com पर देखा जा सकता है।


18/02/19
वन प्रमंडल पदाधिकारी -सह-उपनिदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल-1, बेतिया।